Dhampur Bio Organics Ltd.



Date: June 13, 2024

To,

The Manager - Listing The Manager - Listing

Dept of Corp. Services, National Stock Exchange of India Ltd.

BSE Limited Exchange plaza, Bandra Kurla Complex

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Bandra East

Mumbai – 400 001 Mumbai – 400 051

Scrip Code: 543593 Symbol: DBOL

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper Publication of Notice of 4th Annual General Meeting and evoting information

Pursuant to regulation 30 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose herewith copies of Business Standard (English and Hindi Edition) dated June 13, 2024 regarding completion of dispatch of notice of 4th Annual General Meeting along with Annual Report. The said publication also includes details of e-voting and record date.

You are requested to take the same on record.

Thanking you

Your Sincerely,

For Dhampur Bio Organics Limited

Ashu Rawat

Company Secretary and Compliance Officer

(WA-JB-GL-6-43-2024-25

Global oil demand set to peak by 2029, warns IEA

Says India, China to be major demand drivers

SUBHAYAN CHAKRABORTY

New Delhi, 12 June

he global oil demand will peak by 2029 and begin to contract in the following year, the International Energy Agency (IEA) said on Wednesday. This contraction will result in a major glut by the end of this decade.

India's oil demand is expected to rise by 1.3 million barrels per day (bpd) by 2030, with its growth expected to be almost equal to that of China.

The total global supply capacity is set to rise by 6 million bpd to nearly 113.8 million bpd by 2030, a staggering 8 million bpd above the projected global demand of 105.4 million bpd, the agency said, in its new oil market outlook.

Oil 2024, the latest edition of IEA's annual medium-term market report, examines the far-reaching implications of these dynamics for oil supply security, refining, trade, and investment.

"A ramping up of world oil production capacity, led by the United States and other producers in the Americas, is expected to outstrip demand growth over the 2023 to 2030 forecast period and inflate the world's spare capacity cushion to levels that are unprecedented, barring the Covid-19 period," the IEA said.

The growth in demand is expected to decelerate beginning in 2023 when it stood at 2.1 million bpd, IEA said. It added that the demand will plateau at 105.6 million bpd by 2029. "This slow erosion in global demand growth results in a net increase of 3.2 million bpd during the 2023-2030 forecast period," it said.

The total oil demand is nevertheless forecast to rise by 3.2 million b/d between 2023 and 2030, supported by increased use potentially dips from 2027.



Global spare oil output in mn barrels per day

of jet fuel and feedstocks from the booming petrochemical sector.

The consumption of naphtha, liquified petroleum gas (LPG) and ethane will climb by 3.7 million bpd over the forecast period, fuelled by growth in LPG use for clean cooking. Based on current market conditions and policies, IEA predicts global oil demand will level off at around 106 million bpd towards the end of the decade amid the accelerating transition to clean energy technologies.

Surging EV sales, continued efficiency improvements of vehicles, and the substitution of oil with renewables or gas in the power sector will curb oil use in road transport and electricity generation, it said.

A large part of the growth will be dominated by Asian economies, especially in India and China, as oil demand's pivot to emerging markets continues before it

However, the demand from the two Asian economic powerhouses will develop in different ways, with transport fuels defying the global trend in India rising sharply.

India's GDP growth will remain by far the strongest among major economies, averaging 6.5 per cent over the forecast period due to structural tailwinds such as benign demographics, a burgeoning middle- class, and accelerating urbanisation and industrialisation.

Meanwhile, the growth is set to be driven by the petrochemical sector in China as rapid deployment of clean energy technologies and massive infrastructure investments in high-speed rail blunt demand for transport fuels.

By contrast, the demand in advanced economies will continue its decades-long decline, falling from 45.7 million bpd in 2023 to 42.7 million bpd by 2030, IEA said.

€ EICHER

CIN: L34102DL1982PLC12987 Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre Saket, New Delhi - 110017

Telephone: +91 11 41095173 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana **Telephone**: +91 124 4445070 Email: investors@eichermotors.com
Website: www.eichermotors.com

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for last seven consecutive years or more are required to be transferred by Eicher Motors Limited ("the Company" n the name of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") established by the Central Government pursuant to the provisions of section 125 of the Act.

The next due date for transfer of shares, on which seven consecutive years of dividend remaining unpaid or unclaimed, in the name of the IEPF Authority, is September 14, 2024. The shares shall be transferred within a period of thirty days from the due date.

In case of shares which are held in physical form, new share certificates shall be issued for the purpose of transfer to IEPF Authority and the original share certificate shall stand cancelled.

Individual communication in this regard is being sent to the concerned Shareholders. Detail of such shareholders along with their folio number/ DP ID-Client ID is available on the website of the Company at www.eichermotors.com under "Investors" section. In case any shareholder(s) wishes to stop transfer of his/her shares in the name of the IEPF Authority, such shareholder(s) is requested to claim his unpaid or unclaimed dividend from the Company before September 14, 2024. Manner in which a shareholder can claim unpaid / unclaimed dividend is provided under the individual communication being sent to the shareholders which is also available on the Company's website.

In case no communication is received from the concerned shareholder(s) within the time period and in the manner provided under the individual communication, the Company shall cause to transfer the relevant shares in the name of the IEPF Authority pursuant to the

Any person whose shares / unpaid dividend is transferred to the IEPF Authority may claim the shares/ dividend from IEPF Authority, pursuant to the provisions of section 124 and 125 of the Act and the Rules made thereunder by submitting an online application in Form IEPF-5 with IEPF Authority, available on the website www.iepf.gov.in with a copy to the Company. Shareholders are requested to go through the individual communication issued by the Company in this regard and also the provisions of section 124 and 125 of the Act and the Rules

The above information is also available on the Company's website www.eichermotors.com and also on the website of stock exchanges .e. NSE-www.nseindia.com and BSE-www.bseindia.com

For Eicher Motors Limited

Date : 12 June, 2024 Place: Gurugram, Harvana

Atul Sharma Company Secretary & Compliance Officer

KERALA WATER AUTHORITY

e-Tender Notice ender No: SE/PHC/KKD/02/2024-25

AMRUT-1.0- JICA Assisted Water Supply Project to Kozhikode Corporation and Adjoinir Panchayaths- Instrumentation Works & SCADA, Supply of Electromagnetic Flow Mete Butterfly Valve & Automation- General Civil Work.

Last Date for submitting Tender: 28.06.2024 04:00:pm

none: 0495-2371046 Website: www.kwa.kerala.gov.in. www.etenders.kerala.gov.in

BOROSIL RENEWABLES LIMITED

CIN: L26100MH1962PLC012538

Registered Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club. Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051, Maharashtra, India Tel: 022-67406300 Fax: 022-67406514 Website: www.borosilrenewables.com Email: investor.relations@borosilrenewables.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity shares in case of unclaimed dividend for the year 2016-17 of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), the unclaimed dividend for the financial year ended March 31, 2017 and the corresponding equity shares of the Company in respect of which dividend remained unclaimed for seven consecutive years will be due for transfer to the IEPF on September 15, 2024.

The concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF must note that (i) individual communication in this regard is being sent to your latest registered address and relevant details in this regard are available on the Company's website www.borosilrenewables.com (ii) The original share certificate(s) registered in your name will stand automatically cancelled.

If no valid claim is received on or before September 14, 2024, the Company will proceed to transfer the liable equity shares and the unclaimed dividend for the financial year ended March 31, 2017 in favour of IEPF authority without any further notice. Shareholders may note that, after the transfer of shares, any corporate benefit arising out of such shareholding in the Company shall also be credited in favour of IEPF and the voting rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares

Shareholders may also note that no claim shall lie against the Company n respect of the unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by following the guidelines as specified in Rule 7 of the IEPF Rules, details of which are available at the IEPF website www.iepf.gov.in.

In case of any queries/clarifications on the subject matter and the Rules shareholders may contact:

The Company's Registrar and Transfer Agent at Link Intime India Pvt. Ltd., Unit: Borosil Renewables Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Phone: 022- 49186178-79, Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For Borosil Renewables Limited

Ravi Vaishnav

ACS - 34607

Place: Mumbai

WORLD BANK WORKING PAPER

'Enhance fiscal capacity of gram panchayats, increase devolution'

A recent World Bank working paper has called for granting greater authority to panchayats while strengthening local fiscal capacity to offset what it identified as "recentralisation" resulting from the widespread adoption of online payment systems, MIS-based beneficiary selection, and digital beneficiary tracking.

"Delegating more authority to panchayats, rather than stripping them of power, is crucial in ensuring effective local governance," the working paper titled 'Two Fifty-Thousand Democracies: A Review of Village Government in India' authored by Siddharth George, Vijavendra Rao and MR Sharan says.

The working paper highlighted "inefficiencies", saying gram panchayat (GP) council members spend excessive time at block development offices and district collectorates, acting as intermediaries rather than empowered decision-makers.

Enhanced fiscal capacity and broader decision-making authority are deemed essential for improving governance.

"More devolution to GPs comes with an additional benefit: it reduces the burden on BDOs and higher-level bureaucrats, who are already considerably overburdened," it notes. Empowering ward

KEY OBSERVATIONS

Building local tax capacity vital for panchayat autonomy

Administrative data quality and its public availability will improve accessibility

An independent and credible system for scoring gram panchayat performance

Effective grievance redressal systems crucial for holding panchayats accountable

members (WMs) within village councils, who currently lack financial resour act merely as rubber stamps, is another recommendation. "Empowering WMs by financially allocating resources to them—could help panchayats function better," the working paper says, adding that smaller polity sizes improve development outcomes.

Building local tax capacity is highlighted as vital for panchayat autonomy. The working paper suggests that improved tax collection can be achieved through filling bill collector vacancies, digitising property records, and granting GPs more freedom to levy their own taxes and cesses.

"When panchayats are seen to be

responsible for a wider range of tasks, their legitimacy improves in the eyes of the citizens, which could translate to greater local revenues," the working paper explains.

Strengthening Gram Sabhas by increasing their frequency and expanding their powers in village planning and beneficiary selection is also recommended.

The working paper emphasises the importance of listening to citizens, stating, "Utilising Gram Sabhas as platforms to actively listen to citizens is essential."

Improving administrative data quality and ensuring its public availability in accessible formats is another key recommendation. The working paper advocates for the use of effective visualisations, maps, and interactive dashboards to facilitate comprehensive understanding and analysis by all community members.

The working paper also calls for developing an independent and credible system for scoring GP performance.

It suggested "incentivising the performance of panchayat-elected officials and staff by rewarding them with certificates of achievement, more finances for the village, and possibly cash rewards and higher salaries, but in a way that is credible and unquestionably fair."

Establishing effective grievance redressal systems is crucial for holding panchayats accountable, the working paper rec-

MAWANA SUGARS LIMITED

Tel.: 91-11-25739103, Fax: 91-11-25743659, @mawanasugars.com, Website : www.mav

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting ("AGM") of Mawana Sugars Limited ('the Company') will be held on Saturday, July 6, 2024 at 11.00 A.M.(IST) through Video Conferencing("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provision of the Companies Act. 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022, September 25, 2023 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May12, 2020, January 15, 2021, May 13,2022 and January 5, 2023 and October 7, 2023 espectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2023-24 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was completed on Tuesday, June 11, 2024.

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose emai addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MAS Services Limited or provided by NSDL/CDSL (in case of demat shareholders). For the members, who have not registered their email addresses, the procedure for registering their email ID has been provided in the Notice of AGM.

The Company has fixed 'Saturday, June 29, 2024' as 'Record Date' for the purpose of Dividend, if approved at the ensuing AGM.

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company remote e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of Nationa ecurities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Act are as under;

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Saturday, June 29, 2024 ('eligible Members'), can exercise their right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company;
- The remote e-voting will commence on Wednesday, July 3, 2024 at 9:00 A.M.(IST);
- The remote e-voting will end on Friday, July 05, 2024 at 5:00 p.m. (IST);
 The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again;
- The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not vote again in the AGM; The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through
- remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., June 29,
- 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. June 29, 2024, may obtain the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM. However, if a
- person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password The Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 can be accessed from website of the Company at www.mawanasugars.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at
- www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800

1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in The Board of Directors, at its meeting held on May 25, 2024, has recommended a dividence @ 40% i.e., ₹4/- per equity share of ₹10/- each for the financial year ended March 31 2024. Dividend, if approved at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear in the data provided by NSDL/CDSL as on the close of business hours on Saturday, June 29, 2024 ('Record Date') and after giving effect to those cases which have received by RTA for transmission/transposition upto June 29, 2024 subject to deduction of tax at source wherever applicable

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable at the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereto. Members are also requested to refer to the Notice of the 60th AGM for more details on process to be followed, if any, in this regard.

The Company provides the facility to the Members for remittance of dividend directly in electronic mode through National Automated Clearing House (NACH). Members holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFS Code), along with form ISR1 and original cancelled cheque, to RTA. Members holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participants.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members o the Company and is in compliance wi1h the MCA Circulars and the SEBI Circular. For Mawana Sugars Limited

(Ashok Kumar Shukla)

Company Secretary ACS: 29673



DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Office: Sugar Mill Compound, Village Asmoli, Moradabad, UP-244304 CIN: L15100UP2020PLC136939, Tel: +91-7302318313, E-mail: investors@dhampur.com, Website: www.dhampur.com

Information regarding 4th Annual General Meeting of the Company

Moradabad, UP-244304.

NOTICE is hereby given that the 4th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Dhampur Bio Organics Limited ("the Company") will be held through Video ference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, July 05, 2024 at 04:00 P.M. (IST) to transact the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the 4th AGM. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Sugar Mill Compound, Village Asmoli, Sambhal

In compliance with the various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), the Company is permittee to convene AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The attendance of members attending through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

n compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2023-24 have been sent to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on Wednesday, June 12, 2024. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2023-24 has been tispensed with pursuant to the aforesaid Circulars. The Annual Report and Notice of 4th AGM are also available on the Company's website www.dhampur.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and can also be accessed on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide electronic voting

nstructions for Remote E-voting and E-voting during AGM

- facility to Members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Registe of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date fo e-voting i.e. Friday, June 28, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the 4th AGM. A person who is no
- a member as on the said cut-off date should treat this notice for informatio The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paidup equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, June
- The remote e-voting period will commence on Monday, July 01, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Thursday, July 04, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 05:00 P.M. on Thursday, July 04, 2024. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify
- it subsequently The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Member will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;
- Members who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password fo casting the vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting sha

- be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM through VC/OAVM is provided
- Notice which is available on the Company's website at www.dhampur.com, or the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the websites of Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. In case of any queries/grievances, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for Members and 'e-voting user manual' for Members available in the downloads section of the e-voting website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM

with use of technology, can send a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Mr. Saket Sharma (FCS: 4229), Partner, M/s GSK & Associates, Company Secretaries

have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-Voting an and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website i.e. www.dhampur.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com mediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where

he Company's Equity Shares are listed viz. BSE and NSE and be made available or their respective websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com Manner of registration of e-mail address

link https://mailupd.alankit.com

Place: New Delhi

The entire shareholding of the Company is in Demat form. For the limited purpose o sending the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 through e-mail to those members whose e-mail address is not registered with thei Depository Participant, such members may also temporarily get their e-mail ic registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company at investors@dhampur.com/ RTA e-mail id at rta@alankit.com or visit the

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant.

Record Date for payment of final dividend The Company has fixed Friday, June 28, 2024 as the Record Date for determining the eligibility of members to receive final dividend, subject to the approval of shareholders

> For Dhampur Bio Organics Limited Company Secretary

Bank credit growth to ease to 12-14% in FY25: Moody's

Mumbai, 12 June The pace of credit growth of commercial banks in India is expected to moderate in the current financial year (FY25) to 12-14 per cent due to challenges in raising resources and regulatory concerns on unsecured credit. Non-banking financial companies will also see credit growth ease, according to global rating agency Moody's and its Indian unit ICRA. According to the RBI data, banks had reported a credit growth of 16.3 per cent in FY24,

excluding the impact of the merger of HDFC with HDFC Bank.

The stress in some segments of the loan portfolio will also impact credit growth, they said. The credit quality in India's financial system has improved, with record-high profitability, low delinquencies, and domestic-oriented funding underpinning stable credit rat-

ings. Amit Pandey, vice president and senior analyst, Moody's said: "Bank loan growth is expected to be 12-14 per cent over the next 12-15 months as loans grow in line with deposits.

Deposit rates have peaked: Khara

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 12 June

State Bank of India (SBI) Chairman Dinesh Kumar Khara said that deposit rates have peaked and will move southward in the medium term. It said the RBI may start easing the interest rate cycle from the third quarter

of the current financial year. Last week, RBI left its key interest rates unchanged for the eighth time in a row, keeping the focus on inflation amid robust economic growth.

"We are hoping that in the third quarter starting from October, there would be some possibility of inflation trajectory moving towards 4 per cent, and that will be the right time when we can expect some interest cut (from RBI)," he said. "Going forward, we

will get to see some changes...I marginal think, if we look at the medium-term trajectory of interest rate, perhaps it would be a downward trend," he said.

▶ FROM PAGE 1

Budget may spell out RBI dividend utilisation

The fiscal deficit for 2024-25 is projected to be 5.1 per cent

The Budget would also reveal how the government plans to utilise the bumper dividend of ₹2.11 trillion transferred by the Reserve Bank of India for FY24. The amount is expected to give the government a fiscal cushion and greater elbow room for expenditure management. S&P Global Ratings has said

it could give a ratings upgrade to India in the next two years if the government continues policy stability, deepens economic reforms and high infrastructure investment, and follows cautious fiscal and monetary policy.

Thrust on infrastructure and capital expenditure is expected to continue in the FY25 Budget.

Place: New Delhi



कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या

कार्यालय (यदि कोई) का पत

की पर्वानमानित तिथि

कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा प्रधान

कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमत

ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में

SHRIRAMCit

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 156, दूसरी मंजिल, एलेन सॉली शोरूम के ऊपर, राठौर नगर, वैशाली, जयपर-302021 वेबसाइट : www.shriramfinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम टांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सुचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 11.06.2024 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** प्रभार के अध्यधीन होगा।

मांग सूचना

मांग सचना दिनांक

28-12-2022

₹. 3823068/-

(रुपये अड़तीस लाख

तेईस हजार अडसठ मात्र) दिनांक

16.12.2022 को

फोरक्लोजर राशि के

अनुसार नियम व

शर्तों के अनुसार

अतिरिक्त ब्याज व

शुल्क के साथ

भाटिया
, कृष्णा

कर्जदार का नाम एवं पता

कॉलोनी, विजय महल, न्यू राम गढ़ा रोड, जयपुर-302002 मेसर्स साहबजादा जुझार सिंह जेम्स एंड स्टोन्स (सह–कर्जदार/गारंटर)

पताः प्लॉट संख्या 10, हिल्दियों का रास्ता, चाकसू का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान 302003 सांकेतिक कब्जे की तारीख-11-जून-2024 एनपीए- ०३-नवंबर-22

सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. ०६, कृष्णा कॉलोनी, विजय महल, न्यू रामगढ़ रोड, जयपुर (राज.) का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 240.00 वर्ग गज। सीमा विवरण:-पूर्व- प्लॉट नं. ०७, पश्चिम- प्लॉट नं. ०५, उत्तर- अन्य प्लॉट, दक्षिण- रोड २० फीट

प्रतिभत आरितयों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थान : जयपुर ह./-अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 11 जून, 2024 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड



धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, यु.पी-244304 CIN: L15100UP2020PLC136939, फोन: +91-7302318313 ई-मेलः investors@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com

सूचना कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चौथी एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कामकाज के निष्पादन के लिए धामपुर बायो आर्गेनिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की **चौधी** वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024, को दोपहर 04:00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, यूपी—244304 माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी को आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित है। एजीएम के लिए कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को मेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच बुधवार, 12 जून, 2024 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रतियां मेजने की आवश्यकता उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुसरण में समाप्त कर दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और चौथी एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी सपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथ www.bseindia.com एवं www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को चौथी एजीएम में प्रस्तावित संकल्पों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।
- ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 जुन, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही चौथी एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा व्यक्ति जो कथित कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं. वह इसे सचना का प्रयोजन मात्र समझे।
- सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 जून, 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 01 जलाई, 2024 को प्रातः 09:00 बजे प्रारंभ होगी और गरूवार 04 जुलाई, 2024 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी। गुरूवार, 04 जुलाई, 2024 को सायं 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
- उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- सदस्यगण जो कट-ऑफ तिथि से पूर्व एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद शेयर अधिग्रहित करते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपना वोट देने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का अवलोकन करें
- एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं पद्धति एवं वीसी /ओएवीएम वं
- माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के निर्देश एजीएम सूचना में दिये गये हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं।
- किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। सदस्यगण जिन्हें तकनीक के उपयोग पर एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान कोई सहायता चाहिए वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

रजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री साकेत शर्मा (एफसीएस: 4229), पार्टनर, मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम और एजीएम के दौरान डाले गये वोट की संख्या को एजीएम समाप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किया गया परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर इनकी घोषणा के तरंत बाद प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सचना स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई एवं एनएसई को भी दी जाएगी और यह उनकी संबंधित वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर

भी उपलब्ध होगा। ई-मेल पता पंजीकरण करने की प्रक्रिया

कंपनी की सम्पूर्ण शेयरघारिता डिमेट प्रारूप में है। जिन सदस्यों को ई–मेल आईडी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के सीमित प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अक्षर लामार्थी आईडी या एनएसडीएल 16-अक्षर डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) को कंपनी को investors@dhampur.com पर/आरटीए ई-मेल आईडी rta@alankit.com पर उपलब्ध कराकर अपना ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com को देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि

वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं। अंतिम लामांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 12 जून, 2024

कंपनी ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के योग्यता के निर्धारण के लिए शुक्रवार, 28 जून, 2024 रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित की है।

> कृते धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हस्ता./-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे प्लाट नं0 5 रकवई 125.49 वर्ग मीटर स्थित मौ0 करनपुरी कस्वा गुलावठी जिला- बुलन्दशहर के पूर्व मालिक कुंवर सिंह पुत्र उमराव सिंह के नाम वाला मूल बैनामा दिनांकित 17.04.2006 क्रमांक 2228 कहीं खो गया है। उक्त बैनामे का हर प्रकार का व्यवहार अवैध होगा। उक्त प्लाट के वर्तमान मालिक पूजा कंसल पत्नि प्रदीप कुमार व श्रीमती शिमला रानी पत्नि सुरेश चन्द है।

श्रीमती पूजा कंसल पत्नि श्री प्रदीप कुमार निवासी मौ0 अजीमुद्दीन कस्वा गुलावठी, जिला- बुलन्दशहर उ०प्र0

केन फिन होम्स लि.

आनंद प्लाजा, पहली मंजिल, छोटू राम चौक, रोहतक,

हरियाणा-124001 ईमेल : rohtak@canfinhomes.com मो. : 7625079178 फोन : 01262-257852

CIN - L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] [अचल सम्पत्ति के लिए]

जबकि, अधोहरताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्ति

का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन

नेयमावली 2002 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकि 14/03/2024 को जारी की थी जिसमें उधारकर्ता श्री अंगराज पुत्र स्वर्गीय नछत्तर दास तथ स्वर्गीय नछत्तर दास के अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारी से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि

रु. 20,55,280/— (रुपए बीस लाख पचपन हजार दो सौ अस्सी मात्र) उक्त नोटिस की प्रारि की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त 14.03,2024 से

अग्रिम ब्याज के साथ, चुकाने की मार्ग की गई थी। कर्जवार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदुद्वारा कर्जवार और जनसाधारण को सूचना दी जात

है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त

प्रधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णि

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 1

विशेष रूप से कर्जदार(रों), गारंटर(रों) को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध

में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स तिमिटेड, की बकाया राशि रु. 20,55,280/— (रुपए बीस लाख

अवल सम्पत्ति का विवरण

खेबट संख्या 222/203, खतौनी संख्या 309, पुराव संख्या 233, किला संख्या 29 और 29/ भटनागर कॉलोनी, जींद, हरियाणा—126102 में स्थित संपत्ति का वह हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 150 व

दक्षिण- आराजी पंडित जी

पश्चिम – आराजी जिले सिंह

हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,

केन फिन होम्स लिमिटेड

की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का कब्जा दिनांक 11 जून 2024 को प्राप्त कर लिया है।

पचपन हजार दो सौ अस्सी मात्र) और आगे के ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

उत्तर– रोड

पूर्व – आराजी बाया

सार्वजनिक सूचना

के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री ललि नार ने श्रीमती राजवती के स्वामित्व वाली संपत्ति पर फेडबैंव गइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ऋण के लिए आवेदन किया है ासका पता है- संपत्ति का भाग क्रमांक 554-ए/15एम, क्षेत्रफ माप 50 + 50 = 100 वर्ग गज, श्रेणी- एफ, वार्ड क्रमांक 80. प्लॉ क्रमांक 88 पर निर्मित, ब्लॉक 7, खसत क्रमांक 182-मिन, 183-मिन का भाग , 185-मिन, अर्जुन गर्ली की आबादी में ग्राम कड़कड़द्वमा में स्थित, विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली-11032, वीडियो- 1. पंजीकृत बिकी विलंख (संपत्ति संख्या 554-पु.15एम., श्रेमफल माग, 50 मां गज के संबंध में) दिनांक-20/09/2010 (दस्तावेज संख्या 18026, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 4940, पृष्ठ-21 से 31, दिनांक-29/09/2010, एसकारओ- VIII), श्री राजेश कुमार द्वारा श्रीमती राजवती के पक्ष में निष्पादित 1. 2 पंजीकृत प्रमार द्वारा श्रीमती राजवती के 50.56.2024 (प्रजीकृत संख्या 12024/18/आई/5310, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 4515, पृष्ठ क्रमांक 31-46, दिनांक 07/06/2024 को पंजीकृत, श्री महंड कुमार द्वारा श्रीमती राजवती के पक्ष में निष्पादित। इस फ्रण पर किसी को भी इस पर कोई आपति है बंधक 7 दिनों (क्रनाशन दिवस संहित, के भीतर विशिष्ट लिखित आपतियों के साथ अधीहता सही से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपति नहीं है। क्रमांक ८८ पर निर्मित ब्लॉक-७ खसरा क्रमांक १८२-मिन १८३

Can Fin Homes Ltd

वरुण फोगाट (एडवोकेट 72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर सफदरजंग एन्वतेव, नई दिल्ली- 11002! (07982557892) (varunphogaat@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

सिधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीति दल लोक समाधान पार्टी के नाम से रजिस्ट्रीकृत हो प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय- ग्राम-सैरा, पोस्ट-रसलपर थाना-बड़ागांव, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221204 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है, पार्टी व पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:-

महासचिव: ओम प्रकाश पाएडेय

यदि किसी को लोक समाधान पार्टी के रजिस्ट्रीकर में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारण सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेंजे।

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तिर

कुर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जात है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13

अचल सम्पत्ति का विवरण प्लॉट संख्या 62MIN उत्तरी भाग, खसरा संख्या 842 और 845, कोढ़ी कॉलोनी, हिसार बाईपास रोड व पास. रोहतक, हरियाणा—124001 में स्थित संपत्ति का वह हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 148.33 वर्ग गज है चौहद्दी: उत्तर- प्लॉट संख्या 21, दक्षिण- प्लॉट संख्या 62MIN दक्षिणी भाग, पूर्व- कोढ़ी कॉलोर्न

हरियाणा—124001 ईमेल : rohtak@canfinhomes.com मो. : 7625079178 फोन : 01262-257852 CIN – L85110KA1987PLC008699 कब्जा सूचना [नियम 8(1)] [अचल सम्पत्ति के लिए]

का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिमूति हित (प्रवर्तन नियमावती 2002 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकि 14/03/2024 को जारी की थी जिसमें उधारकर्ता श्रीमती सरिता रानी, श्री प्रदीप कुमार और श्री दलबीर सिंह (गारंटर) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 19,20,684/- (रुपए उन्नीस लाख बीस हजार छः सौ चौरासी मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख़ तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त 14.03.2024 से अग्रिम ब्याज के साथ

तिथिः 12.06.2024 हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,

आनंद प्लाजा, पहली मंजिल, छोटू राम चौक, रोहतक,

चुकाने की मांग की गई थी।

संपत्ति का कब्जा दिनांक 11 जून 2024 को प्राप्त कर लिया है।

की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उद्यारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार(रों), गारंटर(रों) को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के सबय में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 19,20,684/— (रुपए उन्नीस **लाख बीस हजार छः सौ चौरासी मात्र)** और आगे के ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

की भूमि, पश्चिम— रोड

कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान

अध्यक्षः कन्हैया प्रसाट मौर्य कोषाध्यक्षः राहुल मौर्व

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर केन फिन होम्स लि.

हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल

लिमिटेड, 101, कनकिया एट्रियम 2, क्रॉस रोड ए, चकला एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400093 ई-मेल : cirp cianhealthcare@gmail.com 25-06-2024 आईआरपी की नियुक्ति की तिथि 11-06-2024 है

दावा प्रस्तुत करने हेत् अंतिम तिथि दावा प्रस्तुत करने के लिए, आईआरपी की नियुक्ति हेतु आदेश की प्राप्ति अर्थात 11-06-2024 से 14 दिन का समय दिया गया है।

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की -धारा (६क) के क्लॉज (ख) के किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षम प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)

प्रपत्र – ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 के विनियम 6 के अधीन[

संबंधित विवरण

सियान (CIAN) हेल्थकेयर लिमिटेड

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, पुणे

L24233PN2003PLC017563

हरसंगी, पूर्ण-412308

नाम : श्री रोशन घोरडिया

मिल्कत नंबर 3339, ब्लॉक नंबर 1, दक्षिण की तरफ से, सी.एस. नं 227/23ए, हार्पेल पार्क, बर्जर पेंट के सामने, ए

सी.पी. (आईबी) नंबर 149/एमबी/2022 में एनसीएलटी, मुंबई पीट के आदेश दिनांकित 11-06-2024 के अनुसार

08_12_2024 (क्रिए) शोध अभ्याता आर्च्यन तिथि 11_06_2024 से 180 टिन

पंजी. सं : IBBI/IPA-001/IP-P02840/2023-24/14347

पता : 114, सोलारिस हवटाउन, एन.एस. फडके मार्ग, निकट ईस्ट वेस्ट पलाइओवर, अंधेरी (ई), मुंबई–400069 **ई–मेल आईडी** : risingsun192123@gmail.com

पता : रिनासेन्स इन्सोल्वेंसी रिजॉल्युशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट

https://ibbi.gov.in/home/downloads तदद्वारा सचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, मंबई पीठ ने दिनांक 11-06-2024 को **सिया** (CIAN) हेल्थकेयर लिक्टिंड के विरूद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंग करने का आदेश दिया है। सियान (CIAN) हेल्थकेयर लिक्टिंड के लेनदारों से एतदृहारा अपने दावे मय प्रमाण 25-06-2024 को अथवा

अंतरिम समाधान पोफेशनल के समक्ष ऊपर आदटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर परतत करने की मांग की जाती है

वेत्तीय लेनदारौं को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेन

अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से). डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। रोशन चोरडिय अंतरिम समाधान प्रोफेशन

पंजीकरण सं IBBI/IPA-001/IP-P02840/2023-24/1434

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)] **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR** Case No : 04/481/2024

ummons under sub-section (4) of section of the Act, read with sub-rule (2A) of rule of the Debt Recovery Tribunal (Procedure

STATE BANK OF INDIA

NARENDRA PAL (1) NARENDRA PAL

गज है। चौहद्दीः

तिथिः 12.06.2024

Can Fin Homes Ltd

W/S/O-SHRIBANWARILAL VILLAGE - SARDARPURA BIKA, PC SHYAMGARH, TEHSIL RAISINGHNAGAR GANGANAGAR, RAJASTHAN SUMMONS

WHEREAS, OA/481/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar or 25.04.2024. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA filed against you for recovery of debts of Rs. 4388084/- (application along with copies of locuments etc. annexed). n accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as

of the Act, you, the defendants are directed as under:(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary sale, lease or otherwise, except in the ordinar course of his business any of the assets ove which security interest is created and / or othe assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the origina application without the prior approval of the ribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets sale procesus reased by sale or sective dospo-or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a crow thereof e the written statement with a copy thereo furnished to the applicant and to appear befor Registrar on 21.11.2024 at 10:30 AM failin which the application shall be heard and decide in your absence. Given under my hand and th seal of this Tribunal on this date 27.05.2024

Assistant Registrar (Seal) Debts Recovery Tribunal, Jaipur

■IndiaShelter

ऋण खाता

संख्या

LA15CLLONS00

0005037720

ANAND RATHI हाईवे, गोरेगांव (पू), गुंबई – 400 063, भारत

स्त संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि, जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटे** रानरार तथावार पत्रा यो पूचिया (गया आता है ।ए), यान्य, अवाहरातावरपत्रा । आताच राज पत्राचा स्वाह के प्राधिकृत अधिका के क्षाच में दिनीय परिवारिक के प्राधिकृत अधिका के प्राधिकृत अधिका के क्षाचिकृत अधिका के प्राधिकृत अधिका के प्राधिकृत अधिका के प्राधिकृत अधिका के प्राधिक स्वाह के प्राधिक अधिका अधि ही धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **मांग सूचना (विवरणों को विशिष्ट रूप में निम्न तालिका** वर्णित किया गया है. यहां इसमें इसके उपरांत "मांग सूचना") वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 उप–धारा 2 के अंतर्गत निर्गत की गयी थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं (विवरण विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित हैं, यहां इसमें इसके उपरांत उधारकर्ता(गण)) को मांग सूचना अंकित राशि का ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियंत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, एआरजीए जारते तारा को जान के पारवाना की तिथि तक. आगे की मांग सूचना की तिथि से निर्धारित नागतों एवं युक्ता बसूकीकरण एवं/अथवा मुगतान की तिथि तक. आगे की मांग सूचना की तिथि से निर्धारित नागतों एवं युक्ता अन्य भुगतानयोग्य धनशिथों (यदि कोई) के साथ **(यहां इसमें इसके उपरांत देय राशि),** मांग सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ताव न २० दिस्ता व अरह आसुनाता वरून को कहा गया था। वृक्ति **उद्यास्त्रातिण , विसा सन्द अदास्कर्ताणण)** उत्तर बकाया देद राशि का प्रतिमृततान करने में विफल हो युक्ते अतएव एतदहारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित उद्यारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सुवि किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / प्रतिभृत परिसंपत्तियों (मांग सूचना अंतर्गत परिभाषितानुसार) का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा । के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, विशिष्ट रूप में यहां इसमें निम्नांकित तिथि को, **सांकीत** अधिग्रहण कर लिया है।

जानश्चर पर तिपा है। इसके उपरांत क्रियादात (एआरजीएफएल) ने एक वाद सं. 479/एसए/डीएम निशांत कुमार यादव, आई.ए.ए जनपदाधिकारी, गुरुग्राम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा 17.10.2023 को निशांत कुमार यादव, आई.ए.ए तनपदाधिकारी, गुरुग्राम के न्यायालय में भौतिक अधिग्रहण प्राप्त करने का एक आदेश पारित हुआ था तथा आदेश ाधार पर हम ने 11–06–2024 को बंधक संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है। (अनुसूची–। में वर्णितानुर

इसके उपरांत एआरजीएफएल ने उपरोक्त उल्लेखित शपथपत्र के अग्रसारण में तथा निशांत कुमार यादव, आई.ए.ए जनपदाधिकारी, गुरुग्राम के न्यायालय में पारित उपरोक्त उल्लेखित आदेश के अनुपालन में प्रतिभूत परिसंपत्तियों भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में नाता है कि संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन-देन न करें तथा संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किर ो प्रकार का लेन—देन. **एक बकाया राशि** (विशिष्ट रूप में यहां इसमें निम्नांकित) तथा ब्याज की संविदागत दर राशि पर नियत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, **एआरजीएफएल** द्वारा वसुलीकरण एवं / अथवा भूगतान की ति तक निर्धारित लागती एवं सुन्ता एवं अन्य मुगतानयीग्य धनतारीयों (यदि कोई) के साथ. हेतु **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंद्र लिमिटेड** के प्रमाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय बं संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : मैसर्स सनराइज इंडस्ट्रीज, विकास नगर, 2कड माइलस्टोन, बसई रोज सह—उधारकर्ता(ऑ) के नाम पते : 1. श्री प्रदीप शर्मा, 2. श्रीमती रुचिरा शर्मा, मकान नं. 1—801. प्रथम तल, ब्लॉक— 1, पा विहार, गुडगांव, हरियाणा-122017

आरओआई बकाया मूलधन लंबित ईएमआई राशि निलंबन पर ब्याज अति देय ब्याज ईएमआई बाउँस शुल्क सचना शल्क लागू अनुसार भावी ब्याज के साथ मांग सूचना के अनुसार 21,86,272 1,32,644 देय राशि :- रु. 23,55,108/- (रुपये तेईस लाख पचपन हजार एक सौ आठ मात्र) 1,640 9,852 मांग सूचना की तिथि : 7 जून 2023 ऋण अनुबंध सं. : ARGFL/SME-LAP/DEL/1318 भौतिक अधिग्रहण की तिथि : 11 जून 2024 प्रतिभृत परिसंपत्ति के विवरण : संपत्ति पता : दुकान सं. 26-ए. खसरा सं. 1020, गांधी नगर, तहसील एवं जनपद गुडग हरियाणा-122001 में दिखत तथा दिम्मानुसार परिसीमित है : सीमाये :- पूर्द- अन्य की संपत्ति, परिचम- पटौदी मार्ग, उत्तर- अ को संपत्ति, दिक्कि- अन्य की संपत्ति

हस्ता /- आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटे दिनांक : 11 जून 2024

सार्वजनिक नोटिस – अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभति हित प्रवर्तन नियमावली

2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रत्याभूत ऋणदाता) के पास बंधक अचल संपत्ति / ओं की विक्री हेतु नोटिस। एतदहार

सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) या उनके विधिक उत्तराधिकारी/ओं, प्रतिनिधियों को सूंचित किया जाता है

कि नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों या जमानतियों से बकाया देयों की वसली के लिए प्रत्याभत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित नीचे

वर्णित अचल संपत्ति / ओं जिनका आईएसएफसी (प्रत्याभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है. की **''जहाँ है जैसी है'', ''जो है, जहाँ**

हैं", "**जो भी है**" आधार पर 16.07.2024 (नीलामी तिथि) को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलमी

में भागीदारी के लिए र्रएमदी राशि के साथ महरबंद लिफाफे शाखा / कारपोरेट कार्यालयः शाखा कार्यालयः प्रथम तल ओमेगा टॉवर रे कॉलोनी बाडमेर-34400

और शाखा कार्यालयः खसरा नं, 1539, चक नं, 2. मेन सोजत रोड, ब्रह्म विहार, गौतम विहार पाली–306401 में 15,07,2024 समय अप. 5 तक या इससे

मांग नोटिस की तारीख

राशि तारीख को

ne na ana4 क 810037 /- (रुपये आ

लाख दस हजार सैंतीस मात्र) दिनांव

nen2.2024 को देय और भूगतान की

तारीख तक आगे की ब्याज और अन

27.04.2022, 节 392839.28/- (专口

तीन लाख बानवे हजार आठ सौ

उनतालीस और अठाईस पैसा मात्र

दिनांक 30.04.2022 को देय और

भुगतान की तारीख तक आगे की व्याज

संपत्ति का विवरणः— संपत्ति बुक नं. 1 जिल्द नं. 94. सीरियल नं. 192∕77 तेलियों का वास, बाङमेर, जिला बाङमेर–344001 452.62 वर्ग फुट के समस्त भाग व खंड। सीमाऍ≔ उत्तरः एनए, दक्षिणः एनए, पूर्वः एनए, पश्चिमः एनए

कब्जे का प्रकार

(सजनात्मक / भौतिक

के तहत)

सांकेतिक

भौतिक

। नगर विस्तार, पाली (राजस्थान) स्थित संपत्ति प्लॉट नंबर 126, माप 500 वर्ग फुट के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:- पू

आरक्षित

मूल्य (रु.)

10,87,000/-

4,43,000 / -

(राजस्थान) बाडमेर-344001

धरोहर राशि

जमा (रु.)

10,8700 /

रु

44.300 / -

दिनांकः 12 जून, 2024

स्थानः गुरुग्राम

Home Loans पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6वाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालयः**

और शाखा कार्यालयः खसरा नं. 1539. चक नं. 2. मेन सोजत रोड. ब्रह्म विहार, गौतम विहार पाली-306401

पूर्व आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किए जायेंगे।

कर्जदार(ऑ) / सह-कर्जदार (ऑ) / जमानती(ऑ) / विधिक उत्तराधिकारी(ओ) / विधिक प्रतिनिधि(ओ) के नाम

श्री / श्रीमती निरुपमा देवी और

श्री / श्रीमती सुरेश कुमार सोनी

श्री /श्रीमती भावरी देवी और

भंवर लाल

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

DEVYANI

देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड

स्थान : मुंबई

पंजीकृत कार्यालयः एफ–2 / 7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ **- I**, नई दिल्ली – 110020; दूरभाषः +91–11–41706720 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 18, सेक्टर —35, गुरुग्राम — 122004, हरियाणा दूरभाषः +91-124-4566300, 4786000 ई–मेल: companysecretary@dil-rjcorp.com; वेबसाइट: www.dil-rjcorp.com कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L15135DL1991PLC046758

सदस्यों को ३३वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंद तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

यह सूचना हमारे द्वारा दी गई दिनांक 10 जून, 2024 की सूचना के विस्तार में है, जिसके अन्तर्गत देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेंड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियम, सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्ष्ताएँ] विनियमन, 2015 ('**'सेबी** सुचीबद्धता विनियमन''), तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ("एमसीए परिपत्रों") के अनुपालन में, कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुकवार, 5 जुलाई, 2024 को 11:00 बजे (भारतीय मानक समय), सदस्यों की आम स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी/ ओएवीएम'') द्वारा की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या संबंधित डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों ("**डीपी"**) के पास पंजीकृत हैं, उन्हे एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं अन्य संबंधित सेबी परिपत्रों के साथ पठित परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी – पीओडी – 2 / पी / सीआई आर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023, के अनुपालन में 33वीं एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट **बुधवार**, 12 जुन, 2024 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। 33वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.dil-rjcorp.com) स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक—2 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों द्वारा 33वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 28 जून, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") निरधारित की गई है। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉंज़िटरी द्वारा बनाई गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में कट—ऑफ तिथि पर दर्ज रहेगा, केवल वही व्यक्ति एजीएम में शामिल हो सकता है तथा रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति कट—ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे 33वीं एजीएम की सूचना को मात्र जानकारी मानना चाहिए।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 2 जुलाई, 2024 पूर्वाह्न 09:00 (भारतीय मानक समय) को प्रारम्भ होगी तथा गुरूवार 4 जुलाई, 2024 सायं 05:00 (भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान इलेक्ट्रानिक माध्यम से कर सकते है। तद्उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर दिया है वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते है पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा द्वारा पनः मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है तथा वे ऐसा करने के लिए अयोग्य भी नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से

एक बार सदस्य के एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ई-मेल पंजीकरण, रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, लॉगिन आईडी प्राप्त करने तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश 33वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं।

श्री कपिल देव तनेजा (सीपी नंबर 22944), तथा उनकी अनुपस्थित में श्री नीरज अरोड़ा (सीपी नंबर 16186), मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स के पार्टनर्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली, को संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

कोई व्यक्ति, जो 33वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रोनिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के शेयरों को अधिग्रहित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह 33वीं एजीएम के सचना में लिखे हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com पर आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह 33वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वर्तमान यजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मतदान कर सकता है।

यदि आपने कम्पनी / डीपी / आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो निम्न निर्देशों का पालन कर सकते हैं-

कृपया केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर या कंपनी को companysecretary@dil-rjcorp.com पर अपना नाम, फोलियो नंबर, शेयर भौतिक रूप से प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे) और स्वहस्ताक्षरित पैन और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी धारित शेयर कृप्या अपने डीपी से संपर्क करें तथा डीपी की सलाह अनुसार प्रक्रिया अपनाकर अपने डीमैट खाते डीमैट रूप से

में अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करायें। धारित शेयर सेबी ने भौतिक रूप में प्रतिभृतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, ई—मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और सभी प्रतिभृति धारकों द्वारा नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले किसी सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त विवरण / दस्तावेज आरटीए को उपलब्ध नहीं कराए जाते। इस संबंध में प्रासंगिक विवरण

और निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.dil-rjcorp.com/shareholder-information/ पर उपलब्ध हैं। अधिनियम की धारा 91 तथा इसके अंतर्गत नियम तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तक **शुकवार, 28 जून, 2024** से **शुकवार, 5 जुलाई, 2024** (दोनों दिवस सम्मिलित) तक 33वीं एजीएम के उद्येश्य से बंद रहेंगी।

मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवस या 3 दिन, जो भी पहले हो, के भीतर घोषित किया जाएगा और जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट (www.dil-rjcorp.com) स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर रखा जाएगा ।

ई—वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com पर 'हेल्प / एफएक्यू' देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400013, को 022—48867000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या companysecretary@dil-rjcorp.com पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी को ई—मेल लिखें।

> देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की तरफ से हस्ता. /-पंकज विरमानी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

उपरोक्त कर्जदारों /बंधककर्ताओं / जमानतियों को एतदृद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस में यथाउल्लिखित राशि का अधतन ब्याज व व्ययों सहिर मुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, की आपसे व्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी। आशु रावत दिनांकः 13.06.2024, स्थानः राजस्थान कंपनी सचिव

संपत्ति का विवरण:— चक नं. ०१, खसरा नंबर ९४३, विकास नगर विस्तार, पाली रोड, पश्चिमः प्लॉट नंबर १३१, उत्तरः प्लॉट नंबर १२५, दक्षिण: प्लॉट नंबर १२६ए HI 15CHI ONSO | श्री / श्रीमती मांगी देवी और 06.02.2024, रु. 1771483/- (रुपये सांकेतिक संत्रह लाख डकहत्तर हजार चार सौ श्री / श्रीमती प्रेमपाल बेनीवाल 25,34,000 2,53,400/ तिरासी मात्र) दिनांक 06.02.2024 क देय और भुगतान की तारीख तक आ की ब्याज और अन्य प्रभार निबंधन व शर्ते: निर्धारित निविदा / बोली प्रपत्र और बिक्री के निबंधन व शर्ते शाखा / कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट-15, 6वाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002, शाख

कार्यालयः प्रथम तल. ओमेगा टॉवर रे कॉलोनी, वाडमेर–344001 और शाखा कार्यालयः खसरा नं. 1539, चक नं. 2. मेन सोजत रोड, ब्रह्म विहार, गौतम विहार पाली–30640 में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वा, 10.00 से अप, 5.00 के बीच उपलब्ध होंगे। अचल संपत्ति आरक्षित मल्य से कम पर बिक्री नहीं की जायेगी।

उपर्युक्त संपत्ति /ओं की खरीद के लिए सभी निविदा /बोली के साथ उपरोक्तानुसार 'इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' के पक्ष में धरोहर राशि जमा करनी होगी नीलामी के बाद असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोलीकार को सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा बशतें वह बोली करने के लिए विधिक रूप से अई हो और साथ ही बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो उच्चतम बोली की स्वीकृति /अस्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी के विवेक से होगा जबकि पेशकरा मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्यान्त है।

संभावी निविदाकार पूर्व समयादेश लेकर संपत्ति का 13,07,2024 समय पूर्वा 11,00 से अप 5,00 के बीच निरीक्षण कर सकते हैं।

हैं, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और इस प्रकार जमा में किसी चुक पर संपत्ति नयी नीलामी / निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। अपर्यक्तानुसार प्रारंभिक भुगतान होने की अवस्था में क्रय धनवारी की शेष राशि संपत्ति की विके की पुष्टि होने की तारीख से केवत 15 दिन के अंदर खरीदार द्वार प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य कोई अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस में जमा करनी होगी।

उपरोक्त अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक की अवस्था में संपत्ति नयी नीलामी / निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। ईएमडी सहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा।

11) बिक्री पुरी तरह से इस विज्ञापन और निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंतर्निहित निबंधन व शर्तों के तहत होगी। 12) सफल निवदाकार /खरीदार को सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, और विक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए विधि अनुसार यथालागू प्रासांगिक व्यय रवयं वहन करने होंगे।
13) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा निविदा को रोकने/स्थगित/निरस्त करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस विक्री वं

कर्जदार / जमानती / बंधककर्ता को 30 दिनी बिक्री नोटिस

उपर्युक्त विक्री आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के तहत होगी। इच्छुक पार्टियों से संपत्ति पर साविधिक और अन्य देय जैसे विक्री / संपत्ति कर, विजली बकाया, और सोसाइटी बकाया संबंधित विमागों / कार्यात्मयों से जांच / पुष्टि करने का अनुरोध है। संपत्ति पर किसी देय के मुगतान का कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। 0) उच्चतम घोषित बोली राशि का 1% टीडीएस, यदि हो, उच्चतम बोलीकार को भूगतान करना होगा। उच्चतम बोलीकार को भूगतान कंपनी के पैन नंबर में करना होगा औ चालान की कॉपी कंपनी को जमा करनी होगी।

निबंधन व शर्तों को भी संशोधित करने का अधिकार होगा। 14) इच्छुक निविदाकार कार्यालयीन अवधि (पूर्वा, 10,00 से अप. 6.00 तक) श्री दीपक सुधार, मोबा, नं, 9649990190 और श्री विनय राणा, मोबा, नं, 7988605030 पर संपर्क कर सक

> श्री विनय राणा:- 7988605030 और श्री दीपक सुधार:- 964999019 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेर